ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा जिला ऊना हिमाचल प्रदेश का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 6/2012 से 03/2014

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अन्तर्गत ई–गर्वनेन्स सोसाईटी की परिवहन विभाग से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवनेन्स सोसाईटी बंगाणा के लेखों अवधि 6/2012 से 03/2014 क लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, इस विभाग के श्री राज कुमार (अनुभाग अधिकारी) व श्री सुशील कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनाँक 20.10.2014 से 28.10.2014 के दौरान बंगाणा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा क लेखों का यह प्रथम अंकेक्षण है। इस अंकेक्षण हेतु विस्तृत जाँच के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः– 1/13 व 1/14, व्ययः– 1/13 व 4/13

(ख) वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा में सचिव/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी/सचिव का नाम	अवधि
1	श्री कर्मचन्द चौधरी	21.5.2012 से 25.10.2013
2	श्री धनवीर ठाकुर	26.10.2013 से 8.01.2014
3	श्री मनोहर लाल यादव	9.01.2014 से 31.3.2014

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	5	लर्नर ड्राईविंग लाईसैन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स तथा रजिस्ट्रेशन फाईलों के क्रय पर व्यय की गई राशि में पाई गई अनियमितताओं तथा क्रय की गई फाईलों के बिक्री से प्राप्त आय से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में	0.28
2	6	स्टेशनरी एवं अन्य सामान के क्रय पर व्यय की गई राशि की मदों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना तथा खपत से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.09

(घ) यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा

प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रदान करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सोसाईटी के अवधि 6/12 से 3/14 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्यदिवसों के आधार पर ₹5500/– आँका गया है, जिसे ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा पी0एन0बी0 बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या 698564 दिनाँक 29.10.2014 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की परिवहन निधि के अवधि 7.6. 12 से 31.3.14 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
1	2012–13	100000 (ऋण)	196398	117	296515	222939	73576
2	2013–14	73576	284367	4027	361970	264549	97421

अन्तिम शेष का विवरणः– दिनाँक 31.3.14 को एस0बी0आई0 बंगाणा के खाता संख्या 32368159862 में जमा राशि ₹96896

अन्तरः– (दिनाँक 31.3.14 की आय की ₹525 को दिनाँक 1.4.14 को बैंक में जमा करवाया गया) ₹525

4 सावधिक निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान ई–गवर्नेन्स सोसाइटी बंगाणा द्वारा परिवहन निधि क लेखों से प्राप्त आय से कोई भी राशि सावधिक जमा योजना में निवेशित नहीं की है।

5 लर्नर ड्राईविंग लाईसैन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स तथा रजिस्ट्रेशन फाईलों के क्रय पर व्यय की गई ₹28098 में पाई गई अनियमितताओं तथा क्रय की गई फाईलों के बिक्री से प्राप्त आय से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे मेंः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा माह 4/13 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार लर्नर ड्राईविंग लाईसैन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स तथा रजिस्ट्रेशन फाईलों के क्रय करने पर ₹28098/– का भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनाँक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	80/20.12.12	मैसर्ज ऑप्टैक विद्या कम्पयूटर सैन्टर, बंगाणा	लर्नर ड्राईविंग लाईसैंस फाईल नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स फाईल रजिस्ट्रेशन फाईल	155 24 62	8.50 8 9.50	1317 192 589
					योग	**₹2098**
2	101/5.2.13	मैसर्ज ऑप्टैक विद्या कम्पयूटर सैन्टर, बंगाणा	लर्नर ड्राईविंग लाईसैंस फाईल नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स फाईल रजिस्ट्रेशन फाईल	1000 1000 1000	8.50 8 9.50	8500 8000 9500
					योग	**₹26000**
	क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (2098+26000)=					**₹28098**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अनियमितताएं पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त उल्लेखित क्रय की गई लर्नर ड्राईविंग लाईसैंन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स व रजिस्ट्रेशन फाईलों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है। स्टॉक प्रविष्टियों व खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय की गई विभिन्न फाईलों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वाँछित स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित क्रय की गई लर्नर ड्राईविंग लाईसैन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स व रजिस्ट्रेशन फाईलों का क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है, अर्थात निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित नहीं की गई है। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त फाईलों का क्रय न्यूनतम दरों पर किया गया है अथवा नहीं? अतः उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित फाईलों

को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित क्रय की फाईलों की बिक्री से कब–2 कितनी–2 आय प्राप्त हुई है, उससे सम्बन्धित विवरण/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उक्त फाईलों की बिक्री से प्राप्त आय से सम्बन्धित विवरण/अभिलेख सोसाईटी के पास माजूद है। इस प्रकार फाईलों की बिक्री के अभिलेख/विवरण के अभाव में फाईलों की बिक्री से प्राप्त की गई राशि की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अंकेक्षण अवधि 6/12 से 3/14 के दौरान लर्नर ड्राईविंग लाईसैन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स तथा रजिस्ट्रेशन फाईलों की बिक्री से प्राप्त आय का सम्पूर्ण विवरण तैयार करने के उपरान्त अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त फाईलों की बिक्री से प्राप्त आय के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

6 स्टेशनरी एवं अन्य सामान के क्रय पर व्यय की गई ₹9705/– की मदों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना तथा खपत से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार स्टेशनरी एवं अन्य सामान का क्रय किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	बिल सं0/दिनाँक	भुगतान का माह/दिनाँक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	933/ 26.11.12	4.1.13	मैसर्ज आर्यन ट्रेडर्स, बंगाणा	स्टेप्लर	1	80	80
				पिन स्टेप्लर	2 बॉक्स	10	20
				पेपर पिन	2	25	50
				रिम (A4)	5	150	750
				पैड स्लिप	3	10	30
				बॉल पैन	10	10	100
				फैक्स रोल	1	135	135
				रजिस्टर रूल्ड	6	50	300
				पाउच लेमीनेशन	1 पै0	160	160
				सिक्के	10	5	50
				ग्लॉसरी	7 नं0	60	420

				शीट			
						योग	**₹3175**
2	423 / 27.12.12	4.1.13	मैसर्ज जण्डवॉल इन्फोसैन्टर बंगाणा	रिफिलिंग कारट्रेज काली कारट्रेज (802 नं0)	1 4	450 520	450 2080
				रंगीन कारट्रेज (802 नं0)	2	715	1430
				रिम कागज (ए4)	5	150	750
						योग	**₹4710**
3	372 / 2.11.12	4.1.13	मैसर्ज जण्डवॉल इन्फोसैन्टर बंगाणा	रिफिलिंग कास्ट्रेज	1	450	450
				काली स्याही	1	135	135
				रंगीन कारट्रेज (803 नं0)	1	715	715
				काली कारट्रेज (802 नं0)	1	520	520
							₹1820
क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग (3175+4710+1820)=							**₹9705**

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित क्रय की गई स्टेशनरी एवं अन्य की मदों स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वाँछित स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

7 रोकड़ बही व लेखों का रख रखाव नियमानुसार न रखनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टो0पी0टी0 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव

सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक वर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार करनी अनिवार्य थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का रख रखाव सही ढ़ंग से किया है व न ही लैजर (Ledger) बनाए गए है। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार नहीं की गई है। उक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में आरम्भिक शेष, माह के दौरान प्राप्त आय, माह के दौरान प्राप्त ब्याज, कुल योग, माह के दौरान किए गए व्यय व अन्तिम शेष का विवरण इत्यादि आधार पर तैयार नहीं किया गया है तथा रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंक पास बुक क साथ मिलान करके बैंक समाधान विवरणी भी तैयार नहीं की गई है, जोकि लेखाँकन नियमों की अवहेलना है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में माह के दौरान प्राप्त कुल आय व माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तिम शेष का विवरण देकर तथा हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र इत्यादि देकर बैंक में जमा राशि का भी विवरण दिया जाए व रोकड़ बही के शेष का बैंक शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का रख रखाव विहित नियमानुसार करने के साथ–2 सम्बन्धित लैजर/खाताबही (Ledger), Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तथा बैंक समाधान विवरणी भो समय–2 पर तैयार की जाए व जाँच/सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

8 स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई (Consumable & Non Consumable) सामान का ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड के नियमों (By Law of the e-Governance Society Una) 2003 के नियम 9.1 के अनुरूप लेखा नहीं रखा गया है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड नियम 2003 के अनुसार स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–2 रजिस्टर तैयार करने अनिवार्य थे। अतः उपरोक्त उल्लेखित नियमों के अनुसार स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर तयार करने के उपरान्त, स्टॉक रजिस्टर में मद अनुसार पृष्ठ आंबटित करके तदानुसार स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 आय व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय व विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों का ई–गवर्नेन्स फंड के नियम 2003 के नियम 4.1 व 5 के अनुरूप शीर्षवार वर्गीकरण नहीं किया गया है, जबकि ई–गवर्नेन्स

सोसाईटी फंड के नियम 2003 के अनुसार आय व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण किया जाना अनिवार्य था। अतः नियमों के अनुरूप वाँछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अपेक्षित आय व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 हार्डवेयर रजिस्टर का निर्माण न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा हार्डवेयर स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड के नियम 2003 के नियम 9.2 के अनुसार हार्डवेयर स्टॉक रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य था व प्रत्येक हार्डवेयर की मद हेतु अलग–2 पृष्ठ आंबटित करके उक्त रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी अनिवार्य थी। अतः नियमों के अनुरूप वाँछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व हार्डवेयर स्टॉक रजिस्टर तैयार करके उसमें प्रत्येक हार्डवेयर मद हेतु अलग–2 पृष्ठ आंबटित करके स्टॉक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 टेलीफोन के बिल रजिस्टर तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा टेलीफोन के बिल रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार टेलीफोन बिल रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है। अतः तुरन्त प्रभाव से टेलीफोन बिल रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त इसमें भुगतान किए गए बिलों की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली के बिल रजिस्टर तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा बिजली के बिल रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार बिजली के बिल रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य था। अतः तुरन्त प्रभाव से बिजली के बिल का रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त इसमें भुगतान किए गए बिजली बिलों की यूनिट के अनुसार प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवानाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंगाणा द्वारा स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है,

जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड के नियम 2003 के नियम 9.4 के अनुसार स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य था। अतः स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने के उपरान्त स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना स आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई ऊना से समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (RLA) बंगाणा को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) बंगाणा से केन्द्रीय ईकाई ऊना को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई ऊना से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणीः–यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 20/2014 खण्ड–1–1862–1866 दिनांक 10.04.2015, शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009